इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 154] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 5 अप्रैल 2022—चैत्र 15, शक 1944

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2022

क्र. एफ 1-1-2022-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

अनुसूची में,—

(1) विद्यमान शीर्षक-''बयालीस-तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग'' के अंतर्गत-

(क) भाग ''(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय'' के अनुक्रमांक-7 पर अंकित निम्नलिखित प्रविष्टि का लोप किया जाय :—

''7. प्री-इंजीनियरिंग एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम टेस्ट का संचालन.''

(ख) भाग ''(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम'' के अनुक्रमांक-5 पर अंकित निम्नलिखित प्रविष्टि का लोप किया जाय :—

''5. मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल अधिनियम, 2007''

(ग) भाग ''(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मंडल, निगम तथा विश्वविद्यालय'' के अनुक्रमांक-1 पर अंकित निम्नलिखित प्रविष्टि का लोप किया जाय:—

''1. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश''

(2) अनुसूची में शीर्षक-''एक-सामान्य प्रशासन विभाग'' के अंतर्गत—

(क) भाग ''(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय'' के अनुक्रमांक-80-क एवं उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक एवं प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाय :—

''80-ख. प्री-इंजीनियरिंग एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम टेस्ट का संचालन.''

(ख) भाग ''(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम'' के अनुक्रमांक-30 एवं उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक एवं प्रविष्टि जोड़ी जाय :—

''31.मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल अधिनियम, 2007''

(ग) भाग ''(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मंडल तथा निगम'' के अंतर्गत ''कुछ नहीं'' के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक एवं प्रविष्टि जोड़ी जाय:—

''1. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश''

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2022

क्र. एफ 1-1-2022-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1-2022-एक (1) दिनांक 5 अप्रैल 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने, अवर सचिव.

Bhopal, the 5th April 2022

No. F 1-1-2022-One-(1).—In exercise of the powers conferred by clauses (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely :—

AMENDMENTS

In the Schedule,—

(1) Under the heading "XLII-Technical Education, Skill Development and Employment Department",—

(a) In part (A) Matters of Policy dealt within the Department, the following serial number 7-and entries relating thereto shall be omitted.

"7-Conduct of Pre-Engineering and other Vocational Courses Test."

(b) In part (B) Acts and Rules administered by the Department, the following serial number 5-and entires relating thereto shall be omitted.

"5-Madhya Pradesh Vyavasayik Pariksha Mandal Act, 2007".

(c) In part (D) Boards, Corporation and Universities set up under Acts the following serial number 1-and entries relating thereto shall be omitted.

"1-Vyavasayik Pariksha Mandal Madhya Pradesh".

(2) Under the heading "I-General Administration Department",—

(a) In part (A) Matters of Policy dealt within the Department, after serial number 80-A and entires relating thereto the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely:—

"80-B, Conduct of Pre-Engineering and other Vocational Courses Test."

(b) In part (B) Acts and Rules administered by the Department, after the serial number 30-and entries relating thereto the following serial number and entry relating thereto shall be added, namely :—

"31-Madhya Pradesh Vyavasayik Pariksha Mandal Act, 2007".

(c) In part (D) Boards, Corporations Set up under Acts, in place of "Nil", the following serial number and entry shall be substituted, namely :—

"1-Vyavasayik Pariksha Mandal Madhya Pradesh".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RANJANA PATNE, Under Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.